राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:F24(1)/04/DLC/SDG/DES/2019/ 55 दिनांक : 28.05.2025

ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी,
ब्लॉक – समस्त।

संयुक्त/उप निदेशक,
जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
जिला समस्त।

विषयः सतत् विकास लक्ष्य–2030 कार्यक्रम का ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में।

नीति आयोग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में राज्य में सतत् विकास लक्ष्य – 2030 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य का एजेण्डा आमजन के कल्याण एवं उनके समृद्ध जीवन की मांग करने के साथ–साथ पर्यावरण की रक्षा तथा वैश्विक शांति की बात करता है। इस एजेण्डे के मूल में '' कोई भी पीछे ना रहे'' का सिद्धान्त है अर्थात् कोई भी व्यक्ति या क्षेत्र विकास से दूर न रहे। इसी भावना को ध्यान में रखते हुये तथा राज्य में सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र अर्थात ब्लॉक स्तरीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर, विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर एस.डी.जी. के स्थानीययकरण करने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिये ब्लॉक स्तरीय प्राथमिकता के अनुसार **110 संकेतक सम्मिलित कर ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क–2025 विकसित** किया गया है (संलग्न)।

इस संकेतक फ्रेमवक के आधार पर ब्लॉक की प्रगति/स्थिति से संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण कर एक ब्लॉक एस.डी.जी. स्टेटस् रिपोर्ट, ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तैयार कर हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जारी की जावेगी। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित एस.डी.जी. समिति की बैठकों में प्रतिवर्ष करवायी जावेंगी।

संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से जिला स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही ब्लॉक स्तर पर एस.डी.जी. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में ब्लॉक स्तरीय कार्मिको आवश्यक मागदर्शन एवं तकनीकी प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर उपलब्ध करावाये जावे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य मे सतत् विकास लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में अर्जित करने एवं स्थानीयकरण हेतु संबंधित कार्यो की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अपने सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करते हुये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव,
आयोजना एवं सांख्यिकी

Signature Not Verified

प्रतिलिपिः जिला कलक्टर, जिला समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.05.27 16:26:22 IST
Reason: Approved